प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.04.2025

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 02 पीली धातू की चैन, 02 सफेद धातू की चैन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 29.04.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाऐ जा रहे अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष महोदय द्वारा मय टीम के रूटीन चेकिंग में टीम बनाकर सैक्टर 2/5 की पुलिया पर इन्दिरापुरम की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे तभी इन्दिरापुरम की ओर से आ रही एक काले रंग की बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्ति को चेकिंग हेतु रोकने का इशारा किया तो एकदम से ब्रेक लगाकर मोटर साइकिल को वाये मोड़कर नीचे कच्चे रास्ते से एलेवेटिड के नीचे यूपीगेट पुल की तरफ भागने लगे हम पुलिस वालों ने मोटर साइकिल का पीछा किया और रोकने का प्रयास किया तो मोटर साइकिल आगे उबड-खाबड रास्ता होने के कारण पत्थरों से टकरा कर पीलर नं आरएपी नम्बर 14 के पास फिसल कर गिर गई और दोनों बदमाश पिलर की आड़ में भागकर छिप गये पुलिस टीम द्वारा द्वारा बुलन्द आवाज में आत्म समर्पण करने हेतु चेतावनी दी गयी तो चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और दोनों बदमाशों ने एक ही स्वर में कहा पुलिस वाले है गोली मार दो और पिलर की आड लेकर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी की तरफ ऐम बनाकर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया और पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के बायें पैर में गोली लग गई व दूसरे अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया। जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड लिया गया घायल बदमाश को गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। गिरफ्तार किये गये दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त मिलकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जगह- जगह मोटर साइकिल/स्कूटी बदल-बदल कर चैन व मोबाइल फोन लूट ने की घटना कारित करते हैं। दोनों अभियुक्त श्यामा और रामा ने मिलकर 18 अप्रैल को शॉप्रिक्श मॉल के पास सुबह के समय कुत्ते को टहलाते हुए व्यक्ति से एक चैन छीनी थी जो चैन श्यामा से बरामद की है यह वही चैन है तथा दोनों अभियुक्त दिनेश उर्फ राहुल उर्फ मोनू पुत्र राजेश निवासी दौलतपुरा गाजियाबाद के साथ मिलकर भी चैन व फोन छीनते हैं। कभी दोनों अभियुक्त आते हैं तो कभी श्यामा और दिनेश आते हैं या फिर कभी दिनेश और रामा आते हैं। करीब 40 दिन पहले श्यामा और दिनेश ने रात के समय सैक्टर 2 वैशाली से एक महिला से चैन छीनी थी जो दिनेश के पास है तथा रामा ने बताया कि करीब ढाई महीने पहले सैक्टर 01 बसुन्धरा से एक सड़क पर चलते व्यक्ति से आई फोन छीना था तथा एक सैमसंग फोन 14 दिन पहले बसुन्धरा रैड लाइट शराब की दुकान के पास से जा रही एक महिला से छीना था तथा लगभग 40 दिन पहले इंदिरापुरम में एक मन्दिर के पास से जा रही महिला से पर्स छीना था। जिसमें एक रेडमी कम्पनी का फोन था। तीनों मोबाइल फोन मैने अलग- अलग राह चलते व्यक्तियों को बेच दिये थे तथा मिले रुपये मैने अपने निजी व्यय में खर्च कर दिये तथा श्यामा व दिनेश ने करीब एक माह पूर्व रात के समय तिरंगा चौक अभयखण्ड से एक व्यक्ति से चैन छीनी थी जो उन्होने राह चलते व्यक्ति को बेच दी और रुपये दोनों ने आपस में बाँटकर खर्च कर लिये तथा श्यामा ने बताया कि करीब 20 दिन पहले शाम के समय सैक्टर 16

बसुन्धरा से एक व्यक्ति से चैन छीनी थी जिसे मैने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया तथा मिले रुपये मैने अपने निजी व्यय में खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. रामा उर्फ राहुल पुत्र हेमचन्द निवासी मकान नम्बर 211 दौलतपुर कुऐ वाली गली थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

2. श्यामा उर्फ साहिल पुत्र हेमचन्द निवासी मकान नंबर 211 दौलतपुरा कुए वाली गली थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 02 पीली धातू की चैन, 02 सफेद धातू की चैन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. गिरफ्तार अभियुक्त श्यामा उर्फ साहिल पुत्र हेमचन्द उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि से सम्बन्धित 09 अभियोग पंजीकृत है।

2. गिरफ्तार अभियुक्त रामा उर्फ राहुल पुत्र हेमचन्द उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में लुट, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि से सम्बन्धित 07 अभियोग पंजीकृत है

3. अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 30 फेंसिग ग्रिल (लोहा) तथा घटना में प्रयुक्त बोलेरो पिक-अप गाडी बरामद।

दिनांक 28.04.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे संख्या- 2 के किनारे स्थित राजस्व गांव रेवड़ी-रेवड़ा के राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे की भूमि पर लगे फेंसिंग ग्रिल (लोहा) चोरी कल लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 29.04.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त 1. मनोज पुत्र भूरेसिंह निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष 2.सचिन पुत्र श्री किशन निवासी पूजा कॉलोनी मंगल बाजार गली न0-10 थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष 3.योगेश कुमार पुत्र जवाहर सिंह निवासी गली न0-01 सुनीता विहार 100 फुटा रोड नीलम फैक्ट्री थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष को ग्राम मकरैडा की तरफ से थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 30 फेंसिंग ग्रिल (लोहा) तथा घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो पिक-अप गाडी बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम तीनों ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर मौका पाकर ग्राम रेवडी-रेवडा ईस्टर्न पेरीफेरल के पास लगे फेंसिंग ग्रिल (लोहा) को चोरी कर लिया था। हमारे दोनों अन्य साथी फेंसिंग ग्रिल को इसी पिक-अप गाडी में लदवाकर चले गये थे। आज हम इस चोरी के सामान को गाडी में लेकर बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1.मनोज पुत्र भूरेसिंह निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

2.सचिन पुत्र श्री किशन निवासी पूजा कॉलोनी मंगल बाजार गली न0-10 थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

3.योगेश कुमार पुत्र जवाहर सिंह निवासी गली न0-01 सुनीता विहार 100 फुटा रोड नीलम फैक्ट्री थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 30 फेंसिंग ग्रिल (लोहा) तथा घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो पिक-अप गाडी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटना के संबंध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जिससे परेशान होकर पत्नी द्वारा आत्महत्या कर लेने के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.04.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी की बहन को नोएडा में 01 मकान व कुछ रूपये लाने का दबाव बनाकर प्रताड़ित करने तथा गाली गलौच कर घर से निकालने की धमकी देने तथा षडयंत्र के तहत हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर धारा 85,80(2) बीएनएस, ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना में दिनांक 28.04.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जिससे परेशान होकर पत्नी द्वारा आत्महत्या कर लेने के अभियोग में 01 अभियुक्त मयंक अग्रवाल उर्फ सिंघल पुत्र पवन अग्रवाल निवासी बुलन्दशहर हाल पता म0न0 216 प्रथम फ्लोर गंगा लेन सेक्टर 5 वैशाली थाना कौशाम्बी उम्र करीब 31 वर्ष को गिरफ्तार कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मयंक अग्रवाल उर्फ सिंघल पुत्र पवन अग्रवाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने अपनी पत्नी को नोएडा में 01 मकान व कुछ रूपये लाने का दबाव

बनाकर प्रताड़ित किया और गाली-गलौच कर घर से निकालने की धमकी दी। जिसके फलस्वरुप अभियुक्त उपरोक्त की पत्नी ने आत्म हत्या कर ली।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मयंक अग्रवाल उर्फ सिंघल पुत्र पवन अग्रवाल निवासी बुलन्दशहर हाल पता म0न0 216 प्रथम फ्लोर गंगा लेन सेक्टर 5 वैशाली थाना कौशाम्बी उम्र करीब 31 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त मयंक अग्रवाल उर्फ सिंघल पुत्र पवन अग्रवाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर देहज प्रताडना से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वसूली मांगने वाले अभियुक्त की घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तारी।

दिनांक 31.03.2025 को एक युवती द्वारा उसे अश्लील फोटो तथा वीडियो और धमकी भरे मैसेज उसके मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने, उक्त अश्लील फोटो तथा वीडियो डिलीट करने के बदले में 01 लाख रुपये मांगने एवं पैसे न देने पर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की घटना के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
विवेचना के क्रम में अश्लील फोटो तथा वीडियो वायरल न करने के लिए 01 लाख रुपये की मांग करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन तथा अश्लील फोटो एवं वीडियो के साथ थाना कोतवाली विजयनगर, गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त शुभम पुत्र नन्द किशोर निवासी म0नं0267 सुन्दर पुरी थाना विजयनगर गाजियाबाद ने पूछताछ पर बताया कि वह पीड़ित युवती के साथ काम करता था तथा इसी दौरान उसने उस युवती के धोखे से अश्लील फोटो एवं वीडियो बना लिये थे। बाद में उसने अपनी पहचान छुपाकर अज्ञात मो0नं0 से उस युवती को व्हाट्सएप पर उसकी अश्लील फोटो वीडियो भेजकर वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगे थे तथा उसकी फोटो और वीडियो उसके घरवालों को भी भेज दिये थे। अभियुक्त शुभम ने पुलिस की पकड़ से बचने के लिए अमृतसर जाकर फर्जी सिम की व्यवस्था कर उसके जरिये इस घटना को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- शुभम पुत्र नन्द किशोर निवासी म0नं0267 सुन्दर पुरी थाना विजयनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण – घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन, अश्लील फोटो व वीडियो।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थाना साइबर क्राइम टीम, गाजियाबाद।